कार्यालय,आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन,पॉचवीं मन्जिल,ए–बी विंग,भोपाल–462004

–:: आदेश ::–

भोपाल, दिनांक– 30/04/2017.

क्रमांक– 1185/58/आउशि/सम्बद्वता/17 :: महामहिम राज्यपाल, मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरान्त प्रदेश में सत्र 2017–18 के लिये नवीन अशासकीय महाविद्यालय/नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय प्रारंभ करने एवं पूर्व संचालित पाठ्यक्रमों की निरन्तरता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की जारी मार्गदर्शिका अनुसार तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 26(1)(पांच) एवं धारा 24 (बारह) के अनुसार आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के उपरान्त ही उक्त अधिनियम से शामिल विश्वविद्यालय अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों हेतु सम्बद्धता प्रदान करनें पर नियमानुसार विचार कर सकता है।

2. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर से सम्बद्ध संस्थाओं (विद्यमान महाविद्यालय/समिति) के द्वारा प्रस्तुत/विद्यमान अशासकीय महाविद्यालयों में नवीन एवं निरन्तरता के पाठ्यक्रमों/विषयों को प्रारंभ करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करनें संबंधी प्रकरणों को इस कार्यालय के आदेश कमांक – 580/999/आउशि/सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/2017 द्वारा निराकृत किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 15/03/2017 के विरूद्ध प्रथम 'रिव्यू' के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ, जिसे इस कार्यालय के आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा निराकृत किया गया। अतः संस्था द्वारा राशि रूपये 35,000/– के चालान सहित द्वितीय 'रिव्यू' प्रस्तुत किया गया है।

3.द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों/दस्तावेजों के आधार पर मार्गदर्शिका में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति के सन्दर्भ में आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर पर परीक्षण करनें के उपरान्त आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के संबंध में द्वितीय 'रिव्यू' के अन्तर्गत प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया जाता है :–

सरल कमांक	बिन्दु	विवरण
1	समिति का नाम	सतगुरू देव वापोली वाले गुरू जी शिक्षा समिति साईखेडा नरसिंहपुर
2	विद्यमान महाविद्यालय का नाम	न्यूटन कालेज आफ साइंस एण्ड टेक्नो० साइंखेडा,नरसिंहपुर
3	आवेदित नवीन पाठ्यक्रम	1. बी०काम०–प्रथम कम्प्यु० ए०
4	आवेदित निरन्तरता के पाठ्यक्रम	1.बी०ए०–तृतीय–राजनीति,अर्थशास्त्र,समाज,अति०इतिहास 2.बी०एससी०–तृतीय–भौतिक,गणित,रसायन अति० कम्प्यूटर साइंस
5	आदेश कमांक – 580/999/ आउशि/ सम्बद्वता/17 दिनांक 15/03/ 2017 द्वारा प्रकरण अमान्य करनें का कारण	संस्था सत्र 2014–15 से किराये के भवन में संचालित है। मार्गदर्शिका अनुसार अधिकतम तीन वर्ष तक ही किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित किया जा सकता है। किराये के भवन से लीज के भवन में स्थान परिवर्तन की अनुमति आयुक्त, उच्च शिक्षा से प्राप्त नहीं की गई है। यू.जी.सी. वेतनमान के भुगतान से संबंधित दस्तावेज, ई.पी.एफ. कटौत्रा पत्रक, रजिस्टर्ड समिति की वैध सूची, तथा नवीन आवेदित पाठ्यक्रम से संबंधित अध्यादेश की प्रति/कुल सचिव का प्रमाण पत्र,गत वर्ष में लगाई गई शर्त की पूर्ति के दस्तावेज अप्राप्त रहे हैं। आवेदित नवीन पाठ्यक्रम में गत सत्र में 50 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हुये/नही होने संबंधी अग्रणी शासकीय महाविद्यालय का प्रमाण पत्र स्पष्ट नहीं है।

6	आदेश दिनांक 10/04/2017 द्वारा प्रथम 'रिव्यू' अमान्य करनें का कारण	संस्था को किराये भवन में कॉलेज संचालन हेतु सत्र 2014-15 से अनुमति दी गई थी, नियमानुसार तीन वर्ष ही किराये के भवन में कॉलेज संचालित किया जा सकता है, किराये के भवन से स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन की कार्यवाही/अनुमति अपेक्षित है।		
7	द्वितीय 'रिव्यू' परीक्षण निष्कर्ष	किराये के भवन से स्वंय के भवन में स्थान परिवर्तन की कार्यवाही अपेक्षित है।		
8	द्वितीय 'रिव्यू' पर आयुक्त, उच्च शिक्षा का निर्णय			
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।	मान्य पाठ्यकम	बी0ए0-तृतीय-राजनीति,अर्थशास्त्र,समाज, अति0इतिहास, बी0एससी0-तृतीय-भौतिक,गणित,रसायन अति0 कम्प्यूटर साइंस	
	आवेदित् अग्रलिखित पाठ्यकमों के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाता है।	अमान्य पाठ्यकम	1. बी0काम0-प्रथम कम्प्यु0 ए0	

4 संस्था द्वारा ई.पी.एफ. के नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय तथा नियमानुसार प्रतिमाह कटौत्रा कर इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

अशासकीय महाविद्यालयों से संबंधित सामान्य शर्तें एवं नियम यथावत् रहेंगे।

"आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"

28/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.

पृ. क्रमांक-1186/58/आउशि/सम्बद्वता/17. भोपाल, दिनांक- 30/04/2017.

प्रतिलिपि :-

1- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।
2- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, समन्वय प्रको.,भोपाल।
3- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा संभाग, जबलपुर, (म0प्र0)।
4- कुल सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर, (म0प्र0)।
5- प्राचार्य, अग्रणी शासकीय महाविद्यालय, मध्य प्रदेश।
6- संबंधित संस्था के अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य मध्यप्रदेश।

——की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30/4/17

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.